न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 18/2017

आर.सी.एम.एस. : 2017/00149

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोडेन्ट :– |
|---|---|---|
| भुण्डाराम पुत्र केसाराम जाति सीरवी निवासी बेरा पड़ासला बगड़ी नगर तहसील सोजत जिला पाली | | 1. मोहनलाल पुत्र केसाराम<br>2. डूंगाराम पुत्र केसाराम<br>3. रूपाराम पुत्र सदाराम के वारिसान<br>3.1 लच्छीराम पुत्र रूपाराम<br>3.2 जगाराम पुत्र रूपाराम<br>3.3 भुण्डाराम पुत्र रूपाराम<br>3.4 त्रिलोकराम पुत्र रूपाराम<br>3.5 शांति पुत्री रूपाराम<br>3.6 कुकी पुत्री रूपाराम<br>3.7 पानी पुत्री रूपाराम<br>3.8 मोनी पुत्री रूपाराम<br>4. चेनाराम पुत्र शेराराम के वारिसान<br>4.1 जोगाराम पुत्र चेनाराम<br>4.2 पुनाराम पुत्र चेनाराम<br>4.3 पानी पुत्री चेनाराम<br>4.4 केली पुत्री चेनाराम जातिगण सीरवी निवासीगण बेरा पड़ासला बगड़ी नगर तहसील सोजत जिला पाली<br>5. तहसीलदार भूमिधारक सोजत जिला पाली |

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिता :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी

रेस्पोडेण्ट संख्या 3.1 से 3.3 व 3.5 से 3.7 की ओर से श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित

रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2,3.4,3.8,4.1 से 4.4 अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांकः– 8-2-2023

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार सोजत द्वारा ग्राम बगड़ी के नामान्तरकरण संख्या 531 दिनांक 16.6.1989 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट तथा अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी काब्जा काश्त की कृषि भूमि

अति. जिला कलक्टर, पाली

ग्राम बगड़ी नगर आई हुई स्थित है। उक्त कृषि भूमि अपीलाण्ट के पिता केसाजी एवं अन्य सहखातेदार की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि थी। उपरोक्त कृषि भूमि मे अपीलाण्ट के पिता के स्थान पर अपीलाण्ट के भाई रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम जरिये नामान्तरण संख्या 531 दर्ज कर दिया गया जबकि उक्त कृषि भूमि में अपीलाण्ट का हक व हिस्सा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 व अपीलाण्ट तीनो सगे भाई है तथा अपीलाण्ट का भी उक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। नामान्तर संख्या 531 तहसीलदार साहब सोजत के आदेश राजस्व अभियान कैम्प बगड़ी/89/एसपीएल/दिनांक 16.6.1989 के आधार पर दर्ज किया गया। उक्त आदेश से संबंधित नकल अपीलाण्ट द्वारा चाही गई तब तहसीलदार सोजत के द्वारा उक्त आदेश की मूल प्रति पटवारी हल्का को सौंपने की टिप्पणी करते हुए पत्र जारी किया। अपीलाण्ट ने उक्त आदेश की प्रति पटवारी हल्का से भी मांगने पर पटवारी हल्का ने ऐसा कोई आदेश उनके कार्यालय में नही होने का कथन किया। उक्त विधि विरूद्ध आदेश के जरिये अपीलाण्ट के पिता केसाराम के स्थान पर सदा वल्द शेरा एवं सदा वल्द शेरा के स्थान पर केसा वल्द विरदा नाम दर्ज कर दिया गया तथा साथ ही अपीलाण्ट के सगे भाई रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का नाम दर्ज कर दिया गया जबकि अपीलाण्ट का भी उक्त कृषि भूमि में हक एवं अधिकार निहित है। अपीलाण्ट ने उपरोक्त कृषि भूमि में अपना नाम दर्ज करवाने हेतु रेस्पोडेन्ट्स से निवेदन किया लेकिन रेस्पोडेन्ट्स ने अपीलाण्ट का नाम दर्ज करवाने से साफ इंकार कर दिया तथा कहा कि उक्त कृषि भूमि में तुम्हारा कोई हक एवं हिस्सा निहित नही है। अपीलाण्ट को हाल ही मे राजस्व रेकर्ड की नकले दिनांक 17.2.2017 को प्राप्त होने पर रेकर्ड में नाम दर्ज नही होने की सर्वप्रथम जानकारी हुई। इससे पूर्व राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज नही होने की जानकारी नही थी। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि मौजा बगड़ी में स्थित जैर अपील आराजी की कृषि भूमि के दर्ज नामान्तरण संख्या 531 को खारिज फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 3.1 से 3.3 व 3.5 से 3.7 ने अपनी बहस में कथन किया कि उपरोक्त म्यूटेशन संख्या 531 तहसीलदार सोजत के आदेश दिनांक 16.6.1989 की पालना में पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में बिना उपरोक्त आदेश को विधिवत रूप से चुनौति दिए म्यूटेशन अपील विधिक रूप से पोषणीय नही होने से खारिज योग्य है। जब तक मूल आदेश को विधिवत चुनौति नही दी जाती है तब तक उसकी पालना में जारी म्यूटेशन बाबत अपील पोषणीय नही रहती है इस कारण से अपील खारिज योग्य है। उपरोक्त जैर अपील म्यूटेशन कैम्प में भूमि विनिमय की स्वीकृति दिये जाने के आधार पर पारित आदेश के तहत दायर किया गया है अर्थात तत्कालीन खातेदार सदा,चेना पि. शेरा व केसाराम पुत्र विरदाराम द्वारा आवेदन देकर ग्राम बगड़ी चक 2 के खाता संख्या 202 कुल रकबा 71.68 है. भूमि मे से 1/24 हिस्सा केसाराम के स्थान पर सदा पि.शेरा के नाम विनिमय किये जाने एवं खाता संख्या 627 रकबा 5.82 है. का आधा हिस्सा केसाराम पुत्र विरदाराम के नाम विनिमय के रूप में दर्ज किये जाने की अनुमति कैम्प में भूमिधारी द्वारा दिये जाने पर उपरोक्त आदेश दिनांक 16.6.1989 को पारित किया गया था जिसकी पालना में ही जैर अपील म्यूटेशन भरा गया है। मूल आदेश भूमिधारी द्वारा विनिमय स्वीकृति का है जिसकी पालना में म्यूटेशन पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में

अति. जिला कलक्टर, पाली

उपरोक्त आदेश की पालना मे पारित जैर अपील म्यूटेशन बाबत अपील खारिज योग्य है। आदेश पारित किये हुए करीब 28 वर्ष हो चुके है। केसाराम जी की मृत्यु आदेश पारित करने के बाद करीब 6–7 साल बाद हुई है। केसाराम जी ने अपने जीवनकाल में म्यूटेशन को कभी चैलेंज नही किया है न ही आपत्ति की है। ऐसी स्थिति में म्यूटेशन को चुनौति दिये जाने का अपीलाण्ट को कोई अधिकार नही होने से अपील खारिज किए जाने योग्य है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय के मूल नामान्तरकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर अपील प्रश्नगत भूमि तहसीलदार सोजत के आदेश दिनांक 16.6.1989 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 531 के जरिये अपीलाण्ट के पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। अपीलांट को तहसीलदार सोजत के उस आदेश की अपील करनी चाहिए थी जिसकी पालना में जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 531 भरा गया परन्तु अपीलांट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 531 को ही चुनौति दी गई है। जो नामान्तरकरण भरा गया है व तहसीलदार के आदेश की पालना में भरा गया है किन्तु अपीलांट द्वारा आदेश को किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई चुनौति नही दी गई है केवल इस आदेश की पालना में भरे गये नामान्तरकरण संख्या 531 को चुनौति दी गई है। नामान्तरकरण अपने आप में कोई आदेश नही है। अपीलाण्ट को तहसीलदार सोजत के आदेश दिनांक 16.6.1989 को चुनौति दी जानी चाहिए थी। अतः जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 531 को अपास्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 8-2-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली